।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक 3339 /यात्रा व्यवस्था/विज्ञप्ति/2015–16 दिनॉक 17 मार्च, 2015

विज्ञप्ति

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 से दिनांक 13 नवम्बर, 2015 तक जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अवस्थित श्री केदारनाथ धाम यात्रा का संचालन होना है। स्थान सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग में अवस्थित **लिनचोली, छानी कैम्प नामक स्थान** में श्रद्वालुओं, पैकेज टूर ग्रुप्स, को ठहराने एवं खाने–पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से **टेन्ट कम किचन सुविधा** उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन रूद्रप्रयाग द्वारा इच्छुक **प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/जनपद रूद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित उद्यमियों से** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल सहित दिनांक 01 अप्रैल 2015 को सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक जो जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी रूद्रप्रयाग,कलक्ट्रेट रूद्रप्रयाग को सम्बोधित हो अथवा निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्यालय दिवस व समय में उक्त कार्यालय में By hand जमा कराये जा सकते हैं।** निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। **दिनांक 04 अप्रैल 2015 को प्रातः 11.00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों तथा डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल का परीक्षण** उपस्थित सम्बन्धित ऑपरेटर्स/उद्यमियों अथवा प्रतिनिधियों के सम्मुख किया जायेगा, **जिनके द्वारा अपनी कार्ययोजना समिति के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी तथा टेन्ट और किचन में प्रयोग की जानी वाली सामग्री के नमूने का प्रदर्शन करना होगा।**

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(1) जनपद रूद्रप्रयाग के टूर आपरेटर्स/आपदा प्रभावित उद्यमी आवेदकों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत जनपद रूद्रप्रयाग का स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा आपदा प्रभावित प्रमाण पत्र।

(2)उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों के टूर आपरेटरर्स/उद्यामियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ टूर आपरेटर्स/उद्यमी/संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र।

आवदेन पत्र लिफाफे के ऊपर दांयीं तरफ "टेन्ट कम किचन सुविधा के लिए आवेदन" लिखना आवश्यक होगा।

आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप तथा विज्ञप्ति की नियम एवं शर्तें जनपद रूद्रप्रयाग की वेबसाइट rudraprayag.nic.in से डाउनलोड की जा **सकती हैं।**

ह0/–
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

<u>पृ0 /तद्दिनॉकित।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>–जिला सूचनाधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को किन्ही दो सर्वाधिक प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से शासकीय दरों पर न्यूनतम साइज में, प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

2.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विस्तृत विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें (संलग्न)।

3. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी रुद्रप्रयाग को परिपालनार्थ।

17/03/15

मुख्य विकास अधिकारी
रूद्रप्रयाग।